

:: कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर ::

:: आदेश ::

निर्देशानुसार सेंट्रल बाल स्कूल, पाली को राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम-1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य सरकार के बत्रांक पं. 15 18/आश/2001 जयपुर दिनांक 26.4.2001 के अनुसार सत्र 2001-2002 में उच्च प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता अंग्रेजी माध्यम में संस्था में कार्यरत सभी अध्यापक प्रशिक्षित होने की शर्त पर दी जाती है।

मान्यता नियमों की पालना न करने अथवा तक्ष्म अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय खिचरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता रद्द की जा सकती है।

अवर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांक-शिबिरा/प्रार/प्राथ/बी/19404/97-98/259 दिनांक 6/6/2001
प्रतिलिपि निम्न को सूबनाथ :-

- 1- उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, पाली।
- 3- सचिव, सेंट्रल बाल स्कूल, जोधपुर रोड, पाली।
- 4- रक्षित बत्राकली।

अवर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।